03/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील रसद संख्या 03/2017 गुरदेव सिंह पुत्र उजागर सिंह निवासी ओडकी उचित मूल्य दुकानदार,ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, 2. वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत ओडकी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.01.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से यह अपील जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 एवं इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 10 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण प्रार्थी की जमा अमानत राशि रूपये 1000/– जब्त की गई और जांच में कम पाये गये 1.97 क्विंटल गेहूं की राशि बाजार भाव से राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये है।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अपीलार्थी द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 06.04.2017 को पेश की गई है, जो 37 दिन के पश्चात पेश की गई है, जबकि 30 दिवस के भीतर ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए अपील अन्दर मियाद न होने से इसी बिन्दु पर खारिज की जावे।

गुणदोष पर विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान, ओडकी का प्राधिकार धारक है और दिनांक 21.12.2016 को उसके विरूद्ध ग्रामवासियों की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी से जांच करवाई गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार द्वारा वितरण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर, उसे दिनांक 22.12.2016 कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया जो संतोषजनक न होने के कारण उसके पास 1.97 क्वि. गेहूं का स्टॉक कम पाये जाने के कारण और पो.ओ.एस. मशीन से गेहूं का वितरण न किये जाने के कारण उसका उक्त कृत्य **राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमान) आदेश 1976 के क्लॉज 6** व उक्त आदेश के तहज जारी प्राधिकार प्रपत्र की शर्त संख्या 5 6 10 व 11 का उल्लंघन है। इसलिए उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया और अमानत राशि में से 1000/– जब्त की गई तथा कम पाये गए गेहूं 1.97 क्वि. के बाजार भाव से राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये है,जो विधिसम्मत है। इसलिए उसकी अपील खारिज की जाये।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

03/17
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 टंकण में विलम्ब होने के कारण, उनसे पूछकर दिनांक 08.03.2017 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 09.03.2017 को नकल तैयार होने पर प्राप्त कर अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की है और अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और विलम्ब शमन कर अपील को अन्दर मियाद माने जाने की प्रार्थना की है।

गुणदोष पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि अपीलार्थी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकानदार, ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकार पत्र धारक हैं और वह उक्त उचित मूल्य दुकान का कार्य विधिवत् तरीके से कर रहा है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार से जारी प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उसका प्राधिकार पत्र गलत तरीके से निरस्त किया गया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी का उक्त आदेश दिनांक 27.02.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी को दिये गये अनुदेश/निर्देश अनुसार एनएफएसए चयनित परिवारों को हर माह प्राप्त गेहूँ का वितरण किया जा रहा है, परन्तु कुछ परिवारों द्वारा समय पर न आने व गेहूँ न प्राप्त करने की सूरत में उन्हें घर पर जाकर गेहूँ दिये जाने का कार्य वे नहीं कर पा रहा है। अपीलार्थी की दुकान पर चयनित परिवारों द्वारा या अन्य जैसा भी वितरण हो नियमित रूप से राज्य सरकार या जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार वितरण किया जा रहा है और हर माह राशन नहीं लिये जाने की सूरत में अगले माह इकट्ठा राशन दिया जाता है, जिसका राशन कार्ड में इन्द्राज कर दिया जाता है। इस हेतु अपीलार्थी द्वारा अपना सम्पूर्ण स्पष्टीकरण जिला रसद अधिकारी को सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जा चुका है, किन्तु उनके द्वारा, उसे अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसलिए जिला रसद अधिकारी का आदेश निरस्त करने योग्य है।

उनका यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय को यह भी अवगत करवाया गया कि बिना पोश मशीन के सरपंच द्वारा दिये गये आदेशों में वितरित किये गये अनाज को सम्मिलित करने के पश्चात अपीलार्थी का स्टॉक 1.97 क्वि. के समतूल्य ही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसको सम्मिलित करने से इंकार कर भयंकर भूल की है और ऐसा कोई भी साक्ष्य/जांच पेश नहीं हुई है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी द्वारा उक्त गेहूं 1.97 क्वि. अन्यत्र विक्रय किया हो केवल मात्र कयास के आधार पर आदेश पारित किया गया है। उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.01.2017 को अपना जवाब के साथ सम्बन्धित दस्तावेजात पेश कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर

रा.ना.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दी थी तथा सभी चयनित व्यक्तियों की सूची पेश की गई थी, जिन्हें नियमित गेहूं वितरित किया गया था। **ततपश्चात दिनांक 22.02.2017 को बिना किसी सूचना के जांच की गई, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों की जांच की गई, न ही जांच के पश्चात कोई मौका अपीलार्थी को अपनी पुनः साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का दिया गया है।** इसप्रकार **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन), आदेश 1976 के क्लॉज–22(3) की पालना नहीं** की गई। इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलकृत आदेश दिनांक 27.02.2017 निरस्त किया जावे।

मैने विभागीय प्रतिनिधि एवं अपीलार्थी के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी उचितमूल्य दुकान, ओडकी का प्राधिकार पत्र धारक है, जिसके द्वारा यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन), आदेश 1976 के तहत दिनांक 06.04.2017 को पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.02.2017 को निम्न प्रकार से अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया हैः–

–: आदेश :–

खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा वितरण किये जाने वाले गेहूँ को माह सितम्बर 2016 से पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से वितरण करना अनिवार्य कर दिया। दुकानदार के स्टॉक में 1.97 क्वि. गेहूं कम मिला है। इस प्रकार दुकानदार द्वारा 1.97 क्वि. गेहूँ संभवतः कालाबाजारी में बेच दिया। दिनांक 08.05.2015 को भी राशन वितरण में अनियमितता के कारण दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था। दुकानदार द्वारा उक्त कृत्य कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 10 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः समिति का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। प्राधिकार पत्र की जमा अमानत राशि रूपये 1000/– जब्त की जाती है तथा जांच में कम पाये गये 1.97 क्विंटल गेहूँ की राशि बाजार भाव से राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति डीलर को भेजी गई।

जहां तक विभागीय प्रतिनिधि का यह तर्क कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नही है इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश 27.02.2017 के विरूद्ध यह अपील **राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर 03/17
श्रीगंगानगर

क्लॉज 22(3) के तहत दिनांक 06.04.2017 को प्रस्तुत की है। **जो 07 दिवस के विलम्ब से पेश की गई है।** अपीलार्थी द्वारा उक्त विलम्ब शमन के लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों के विपरीत कोई प्रति शपथ पत्र विभाग की ओर से पेश नहीं हुआ है। **इसलिए न्याय हित में यह अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।**

पत्रावाली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलार्थी जो कि ग्राम ओडकी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र धारक है और उसके विरूद्ध दिनांक 21.12.2016 को ग्रामवासियों की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजकर जांच करवाई गई और जांच में **निम्न अनियतताएं पाएं जाने के कारण** उसका प्राधिकार पत्र संख्या 7594–7598 दिनांक 21.12.2016 द्वारा निलम्बित कर, उसे कारण बताओं नोटिस जारी किया गया:

1. **दुकान पर एनएफएसए चयनित परिवारों (एपीएल) को एक माह छोड़कर गेहूँ वितरण कर रहा है जबकि राज्य सरकार प्रत्येक माह का गेहूँ उसे दे रही है।**
2. **मौके पर उपस्थित लगभग सभीपरिवारों के राशन कार्ड में यह स्थिति थी। 25 राशनकार्ड की सूची तैयार की।**
3. **मासिक मानचित्र नहीं दिये जाते है।**

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में **अपीलार्थी द्वारा अपना जवाब** दिनांक 21.01.2017 को निम्न प्रकार से पेश किया गया:

1. **हमारे यहां एनएफएसए चयनित एपीएल परिवार जो डिपो पर आये उन्हें हमारे द्वारा गेहूँ का हर माह वितरित किया जाता है।**
2. **सरकार के निर्देशानुसार जो कोई नहीं आया, उन्हें आगामी माह में यदि वे चाहे तो उन्हें इकट्ठा गेहूँ भी दिया जा सकता है जिनकी प्रविष्टी उनके राशन कार्डो में कर दी जती है।**
3. **जबसे हमे ये डिपो मिला है उसके बाद प्रत्येक माह सभी वांछित सूचनाए एवं मानिचत्र आपके कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे है एवं कोई लम्बित नहीं है।**

अपीलकृत आदेश दिनांक 27.02.2017 अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का उक्त जवाब आने के पश्चात जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 22.02.2017 को प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर से पुनः उक्त उचित मूल्य दुकानदार के रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाया और उस निरीक्षण के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

03/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अनुसार 1.97 क्विंटल गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया और 1.97 क्विंटल गेहूँ कम पाये जाने के बिन्दु के सम्बन्ध में **अपीलार्थी को कोई नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है।** जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में **राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 22(3) में निम्न प्रावधान है:**

> 22(3). No order shall be passed under this clause, which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

चूंकि उक्त मामले में 21.01.2017 को अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 22.02.2017 को पुनः अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ओडकी की प्रवर्तन अधिकारी से निरीक्षण करवाये जाने पर 1.97 क्विंटल गेहूँ कम पाया जाना बताया है **किन्तु इस बिन्दु पर अपीलकृत आदेश से अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य के लिए कोई अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है।** इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 27.02.2017 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि इस प्रकरण में पुनः जांच कर अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय किया जावे और **तब तक उचित मूल्य की दुकान, ओडकी की वितरण व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था अनुसार यथावत जारी रहेगी।** जिला रसद अधिकारी कार्यालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर